	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	
अपील संख्या	1390/2015	
उनवान : मैस	र्स चौधरी बिल्ड मार्ट प्रा0 लिमिटेड, श्रीगंगानगर	
····	बनाम	
	अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर	
(2)	राहायपं जायुरस, पालाज्यपं पर प्रसिपरापपयम, श्रामगानगर	नम्बर व तारीख
तारीख	टका म कार्मवारी मम काषिपान नन	अहकाम जो इस
हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	हुक्म की तामील
	खण्डपीठ	में जारी हुए
	श्री मनोहर पुरी, सदस्य	
	श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य	
06/10/2015	अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक	
,,	कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के	
	प्रार्थना–पत्र संख्या अ.प्रा. / बीका. / स्थगन / 15–16 में राजस्थान मूल्य	
	परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा)	
	की धारा 38(4) व 100 सपठित नियम 25 वेट नियम 2006 के तहत	
	पारित किये गये आदेश दिनांक 30.07.2014 के तहत प्रस्तुत की गयी है।	
	अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, (प्रतिकरापवंचन)	
	वाणिज्यिक कर विभाग, श्रीगंगानगर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी'	
	कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध राजस्थान के स्थानीय	
	क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे 'प्रवेश कर	
	अधिनियम' कहा गया है) की धारा 12(4)(5), 34A के तहत पारित किये	
	गये आदेश दिनांक 15.06.2015 से सृजित मांग राशि रूपये	
	1,20,65,675 / – की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत	
	प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय	
	स्थगन प्रार्थना–पत्र वेट अधिनियम की धारां 83 के तहत प्रस्तुत करते हुए	
	प्रकरण में वसूली योग्य राशि रूपये 1,20,65,675 / – की वसूली कार्यवाही	
	को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है।	
	अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान	
	अभिभाषक अपीलार्थी श्री वी. के. पारीक एवं विद्वान उप–राजकीय	
	अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी।	
	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि	
·	अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में आयातित माल पर किसी	
	प्रकार के प्रवेश कर का दायित्व नहीं होते हुए भी कर निर्धारण अधिकारी	
	द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध प्रवेश कर, ब्याज एवं शास्ति का	
	आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी	
	द्वारा सृजित मांग की वसूली में से किसी समुचित कारण का उल्लेख किये	
	बिना अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक	
	त्रुटि की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा	
	प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में.	
	होना बताते हुए वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।	
	हाना बतात हुए वसूला पर राक लगान का प्रायना का गया।	· · · ·
	C 7) C 111(17	

•

....

....

• •

And all of

1.1

आगील संख्या	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	
अपील संख्या1390 / 2015 जिलाश्रीगंगानगरश्रीगंगानगर उनवान : मैसर्स चौधरी बिल्ड मार्ट प्रा0 लिमिटेड, श्रीगंगानगर बनाम (1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (2) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर		
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06 / 10 / 2015	बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, शास्ति राशि की सीमा तक स्थगन आदेश जारी किये जाने में सहमति व्यक्त की गयी।	
	उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में प्रस्तुत अपील⁄स्थगन प्रार्थना–पत्र के निर्णय हेतु प्रवेश कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों का अध्ययन किया गया, जो इस प्रकार है :	Art In-maga .42 (1) Arc ark
	 24. Appeal to the Tax Board (1) Any officer empowered by the State Government in this behalf or any other person objecting to an order passed by the appellate authority under section 23 may appeal to the Tax Board within a period of sixty days from the date on which the order was communicated to him. 	
	(2) The Tax Board may admit an appeal preferred after the period of sixty days referred to in sub section (1), if it is satisfied that the appellant has sufficient cause for not preferring the appeal within that period.	
	(3) The appeal or the memorandum of cross-objection shall be in the prescribed form, and be verified in the prescribed manner, and in the case of an appeal preferred by any person other than an officer empowered by the State Government under sub- section (1) shall be accompanied by a fee equal to two percent of the amount of assessment objected to, provided that the sum payable in no case be less than two hundred rupees or more than one thousand rupees.	(c)
	(4) Notwithstanding that an appeal has been preferred under sub-section (1), the payment of tax or penalty of any other amount, payable in accordance with any order passed by the appellate authority under section 23 shall not, pending disposal of the appeal, be stayed by the Tax Board.	Nevia b doux s doux s doux s doux
	रेखे जन्मद लगातार	

अपाल संख्या	1390 / 2015 र्स चौधरी बिल्ड मार्ट प्रा0 लिमिटेड, श्रीगंगानगर	
	बनाम	
(1)	अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 3 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06 / 10 / 2015	प्रवेश कर अधिनियम के उक्त विधिक प्रावधानों के आलोक में कर बोर्ड द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना—पत्र पर पारित किये गये अपीलाधीन आदेश के तहत वसूल योग्य मांग राशि को उक्त विचाराधीन अपील के निर्णय तक स्थगित नहीं की जा सकती।	
	इसी प्रकार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 23 निम्न प्रकार है :— 💿	
	 23. Appeals (1) Any person objecting to an order affecting him passed under the provisions of this Act may appeal to such authority as may be prescribed (hereinafter referred to as the appellate authority). 	
1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(2) The appeal shall be preferred within thirty days,-	NA (1)
n de la constante de la consta	(i) in respect of an order of assessment, from the date on which the notice of assessment was served on the appellant, and	
	(ii) in respect of any other order, from the date on which the order was communicated to the appellant:	
	Provided that the appellate authority may admit an appeal preferred after the period of thirty days aforesaid if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.	edi edi ehw phr (6)
	 (3) (a) No appeal against an order of assessment shall be entertained by the appellate authority unless it is accompanied by satisfactory proof of the payment of the tax penalty not disputed in the appeal; 	540 558 559 10
	(b) Notwithstanding that an appeal has been preferred under sub-section (1), the tax or other amount shall be paid in accordance with the order against which the appeal has been preferred:	
	Provided that the appellate authority may in its discretion, give such direction as it thinks fit in regard to the payment of tax or other amount payable under clause (b) if the appellant furnishes sufficient security to its satisfaction in such form and in such manner as may be prescribed.	

	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	
उनवान :	मैसर्स चौधरी बिल्ड मार्ट प्रा0 लिमिटेड, श्रीगंगानगर बनाम	of frain have
	(1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर	
	(2) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर	
तारीख		नम्बर व तारीख
रात्राख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील
	-: 4 :	में जारी हुए
06/10/20	(4) The appeal shall be in the prescribed form and shall be verified in the prescribed manner.	ation (
	(5) In disposing of an appeal, the appellate authority may, after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard,	
	(a) in the case of an order of assessment or penalty,-	
	(i) confirm, reduce, enhance or annul the assessment or penalty or both; or	10 202
	(ii) set aside the assessment and direct the assessing authority to make a fresh assessment after such further enquiry as may be directed; and	
	(iii) pass such other orders as it may think fit.	
2.00 2.00 2.00	 (b) Every order passed on appeal under this section shall, subject to the provisions of sections 24, 25, 27 and 28, be final. 	57 (7) (1)
	कर त्विर्धारण आधिकारी द्वारा स्वेश कर आधिन्यिम के तहत मासित	
	अरादेश के विरूद अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रवेश कर अधिनियम की	
	े वासा 23 के अन्तर्भत ही अर्थील प्रस्तूत की जा सकती है एवं उक्त थास	
	के अन्तर्गत ही अमीलीय अधिकारी द्वारा आदेश मारित किया जाना	
	अपेक्षित है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय अधिकारी हास येट अधिनियम की	
	सारा 38(4) एवं सारा 100, सपाउति नियम 28 वेटे नियम को तहत आदेश	
	पारित किया गया है। इस हेतु वेट अधिनियम के सम्बन्धित प्रावधानों यथा	
	धारा 38(4), धारा 100, वेट नियम 25 व प्रवेश कर अधिनियम की धारा 45	
	का अध्ययन आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है :	
••	Sec. 38. Liability for payment of tax or demand	
	(4) Where a dealer or a person has filed an appeal to the Appellate Authority against an order passed by an assessing authority or any other officer, the said Appellate Authority may, after registering such appeal and after having heard the	
	appellant and the assessing authority or officer or any representative thereof, stay the recovery of the disputed amount of tax or demand or any part thereof for a period of six months from the date of such order or till the disposal of	Kale 15.A
	the appeal, whichever is earlier, on the condition that the	
	वि प्राहर लगातार	

	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर		
अपील संख्या			
उनवान : मैसग	र्स चौधरी बिल्ड मार्ट प्रा0 लिमिटेड, श्रीगंगानगर		
(1)	बनाम अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर	in There in	
(1)	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर		
(4)		नम्बर व तारीख	
तारीख		अहकाम जो इस	
हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	हुक्म की तामील	
3	-: 5 :-	में जारी हुए	
00 / 40 / 0045	said dealer or the person furnishes sufficient security to the	art(d) at	
06/10/2015	satisfaction of, the Assessing Authority or the officer, as the	192	
	case may be, in such form and in such manner as may be		
· · ·	prescribed. However, the appellate authority may for reasons		
	to be recorded in writing continue such stay beyond the		
	aforesaid period of six months for a further period not		
	exceeding six months.		
	Sec. 100. Repeal and savings. –		
	(1) The Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Act No. 22 of 1995) shall		
	stand repealed on and from the date of the commencement of		
	this Act and the provisions of the Rajasthan General Clauses		
	Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) shall apply to such repeal.		
•	start outs partial in appeal today but social falls		
	(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1) -		
	(a) anything done or any action taken including any		
•	appointment, notification, notice, order, rule or form made		
	or issued, authorities or powers conferred, processes		
	issued under the repealed Act shall be deemed to have		
	been done or taken or issued under the provisions of this	15 ES. 1918	
	Act in so far as the same is not inconsistent with the	simmer a	
	provisions of this Act or rules made there under and shall		
	continue to be in force accordingly unless and until	1.6 DIMPE	
	superseded by any thing done or action taken under this	The Start	
	Act.	Carrier property	
	(b) any authorities or Board constituted under the repealed		
	Act shall be deemed to have been constituted under the		
	provisions of this Act.	11 1 11 main	
	(c) the modified limitations or the newly introduced		
	limitations provided in this Act shall apply prospectively	1 M (5)	
	and all events occurred and all issues arose prior to the		
	the second se		
	date of commencement of this Act, shall be governed by	19403	
	the limitations provided or the provisions contained in the	100	
	repealed Act.	reps.	
	Rule 25. Application for Stay of recovery of demand An		
•	application for stay of recovery of demand shall be made		
	before the Appellate authority in Form VAT-18.	313	
	र्वे प्रमुहाकी लगातार		

अपील संख्या		
(2)	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर	
तारीख		नम्बर व तारीख
ताराख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील
5	-: 6 :	में जारी हुए
06 / 10 / 2015	45 Applies bility of the Drovisions of the Dejecther G. L. T.	
06 / 10 / 2015	45. Applicability of the Provisions of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 and the Rules made thereunder	5 810
	Subject to the provisions of this Act and the rules made	
	thereunder, provisions of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Act	
	No.22 of 1995), shall apply mutatis mutandis, for all other	
	incidental and miscellaneous matters not provided for in this Act.	
	यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दौराने बहस राजस्व के विद्वान	
•	उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र के	
	सम्बन्ध में विधिक स्थिति बाबत कोई कथन नहीं किया गया, जबकि उनसे	
	यह अपेक्षित था कि वे उक्त विधिक स्थिति से पीठ को अवगत कराते कि	
	प्रवेश कर अधिनियम के तहत सृजित मांग कर बोर्ड के स्तर पर स्थगित	
	नहीं की जा सकती। इसके विपरीत विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा	
24 192 19	शास्ति राशि की सीमा तक स्थगन आदेश जारी किये जाने में सहमति	
	व्यक्त की गयी। अतः विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक का उक्त कृत्य भी	
	उनकी भूल को दर्शाता है।	
	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर.	
1.	1988 एस.सी. 915 Upadhyay Hargovind Dev Shankar v. Dhirendra	
	Singh Virbhadra Singh Ji H Exclusion of Jurisdiction of Courts &	
	Tribunal to be by express Provision के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गयी	
	है :	
	"Where special Act Sets out a Self Contained Code, the	
	applicability of the general law procedure would be impliedly	: .
	excluded."	
	राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	एक स्वतंत्र अधिनियम है, जिसके अधीन कर निर्धारण आदेश पारित किया	
	जाकर मांग सृजित की गयी है। उपरोक्त वर्णित तथ्यात्मक स्थिति व	
	विधिक प्रावधानों के संयुक्त पठन से स्थिति स्पष्ट है कि राजस्थान	
	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 24(4)	
	में कर बोर्ड को इसमें कर या शास्ति व अन्य राशि के भुगतान को स्थगित	
	करने से निषिद्ध करने का प्रावधान किया गया है।	
	लगातार	

an ann

A STATUTE AND A ST

 . .

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर उनवान : मैसर्स चौधरी बिल्ड मार्ट प्रा0 लिमिटेड, श्रीगंगानगर बनाम (1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (2) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर नम्बर व तारीख तारीख अहकाम जो इस हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज हुक्म की तामील हुक्म में जारी हुए -: 7 :--समग्र विवेचना के पश्चात स्थगन प्रार्थना–पत्र संधारणीय नहीं होने 06/10/2015 के कारण खारिज होने योग्य है। अतः खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील / स्थगन प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाता है। आदेश सुनाया गया। もっっこうの 06.10.201 सदस्य सदस्य राजस्थान कर बोर्ड राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अजमेर